न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–37 / 19 (2019 / 00140) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–अमरी पुत्री कालु पत्नि घासीराम बलाई निवासी कोट हाल निवास चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर **प्रार्थीया**

बनाम

1–नैनुड़ी पुत्री गिरदारी पत्नि मथरा बलाई निवासी कोट हाल निवास जोड़लिया तहसील रायपुर
2–सोनी पुत्री गिरदारी पत्नि प्रेम बलाई निवासी कोट हाल निवास रामा तहसील रायपुर
3–गेहरी बेवा मोती बलाई निवासी कोट हाल निवास खाखरड़ा तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1–एमएस चुण्डावत अधिवक्ता प्रार्थीया
2–फारूख मोहम्मद अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 10.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य हिन्दु विधि से शासित होते है। ग्राम कोट के बैरून हल्के आबादी में कालु पिता भज्जा बलाई की साबिक आराजी संख्या 161, 235, 238, 239, 240 व नवीन आराजी संख्या 641, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 255 पर कायम किये गये है। प्रार्थीया मृतक खातेदार कालु की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी का वारीस है तथा प्रार्थीया का कालु की जायदाद में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है क्योंकि उक्त आराजियात पुश्तैनी व पैतृक भूमिया है तथा भुरा आत्मज कालु की विरासत का जो नामान्तरण संख्या 288 गिरधारी व मोंती के नाम फैसल किया जो मुझ प्रार्थीया के नाम दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थीया द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजियात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करें तथा प्रार्थीया को उसके जायज हक व हिस्से भूमि से जबरन बेदखल नही करे न किसी अन्य से करावें एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी की और से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया जबकि इसी प्रकरण में दिनांक 13.06.2019 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी थी आज पत्रावली

10.12.19

पेश के दौरान दोनो अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने दिनांक 13.06.2019 को जारी अनतरिम आदेश को कन्फर्म किया जाने में सहमति व्यक्त की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रकरण में आज दिनांक को उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने दिनांक 13.06.2019 को जारी अनतरिम आदेश को कन्फर्म किया जाने में सहमति व्यक्त की। दिनांक 13.06.2019 को जारी अनतरिम आदेश को कन्फर्म किया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति रखी जाना न्याय हित मे है।

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी के विरूद्व दिनांक 13.06.2019 को जारी अन्तरिम आदेश को कन्फर्म किया जाकर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम कोट के बैरून हल्के आबादी में स्थित आराजी संख्या 641, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, कुल किता 9 कुल रकबा 1.79 है0 भूमि को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य तरीके से हस्तान्तरित नही करें और रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखी जावें। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा — सत्यमेव जयते

10.12.19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.21 14:42:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: